

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 29/2017

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

तेजा पुत्र भला कौम जाट निवासी रामदेवरा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।	1.रूपा पुत्र भला कौम जाट 2.रामा पुत्र भला कौम जाट 3.वीरमा पुत्र भला कौम जाट 4.अन्ना पुत्र भला कौम जाट 5.जेठा पुत्र भला कौम जाट निवासी रामदेवरा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा। 6.शाखा प्रबंधक एस बी आई शाखा सिणधरी। 7.तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा।
-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

- 1.श्री गणपत चारण, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
- 2.श्री अमरा राम चौधरी, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1-3 उपस्थित, शेष एकतरफा व प्रतिवादी सं. 7 के पैरोकार उप।

निर्णय

दिनांक— 31.07.2024

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा— रामदेवरा पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा नं. 132 रकबा 08 विस्वा किस्म गैर मुमकिन ढाणी व खसरा नं. 133 रकबा 113 बीघा 15 विस्वा किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 114 बीघा 03 बीस्वा के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 18.01.2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा अतिरिक्त माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार



कर उपलब्ध करवाया। जिसे उभयपक्ष अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा— रामदेवरा पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा नं. 132 रकबा 08 विस्वा किस्म गैर मुमकिन ढाणी व खसरा नं. 133 रकबा 113 बीघा 15 विस्वा किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 114 बीघा 03 बीस्वा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

कं - सं -	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1.	तेजाराम पुत्र भलाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन – एस बी आई सिणधरी।	रामदेवरा	133	3.0607	बा.दो.	0.40	हरा
2.	अनाराम, जेठाराम, रूपाराम, रामाराम, वीरमारा पि. भलाराम 239/245 चनणी पुत्री भलाराम 6/245 जाति जाट सा. देह खातेदार। रहन— जेठाराम का हि. एस बी आई सिणधरी।	रामदेवरा	132	0.0647	गै. मु. ढाणी		केसरिया
			133	15.2389	बा. दो.	1.98	
		कुल	2	15.3036		1.98	
3.	राज. सरकार (रास्ता)	रामदेवरा	133	0.1052	गै.मु. रास्ता		गुलाबी

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी